Order Sheet [Contd] Case No 140/2017 बी.ए

Date of Order or Proceeding Order or proceeding with Signature of presiding 18-04-17 अांवेदक / आरोपी छुन्ना उर्फ जांकिर की ओर से श्री बींग्एस० यादव अधिवक्ता। राज्य की ओर से श्री दीवानिसंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक। अधीनस्थ जे.एम.एफ.सी. न्यायालय गोहद से प्रक्कि 446 / 2009 ई०फौ० शांगु0 गोहद चौराहा वि जांकिर उर्फ छुन्ना प्रस्तुत। अवेदक / आरोपी की ओर से अधि. श्री बींग्एस० यादव द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जांग्जिंगे। को धार पर गलत मामला दर्ज कर लिया है, जबिक उबत अपराध से आवेदक का कोई संबंध सरोकार नहीं है। आवेदक उबत प्रकरण कमांक 446 / 09 ई०फौ० में जमानत पर था जिसमें कि वह नियत पेशी दिनांक को बाहर गांडी लेकर चले जांगे से न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाया था और अपनी अनुपस्थित की सूचना अपने अभिभाषक को भी नहीं दे पाया था और अपनी अनुपस्थित की सूचना अपने अभिभाषक को भी नहीं दे पाया था, जिस कारण उसके जमानत मुचलके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जप्त कर उसे गिरफ्तारी वारंट से तलब किया गया था और बाद में उसे स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। आवेदक दिनांक 10.04.2017 से अभिरक्षा में है। यदि अधिक समय तक अभिरक्षा में रहा तो उसके परिवार के समक्ष मूखों मरने की स्थिति उत्पन्न हो जावेगी। आवेदक जमानत की समस्त शर्तों का पालन करेगा। अतः आवेदक को उचित जमानत मुचलके पर छोडे जाने का निवेदन किया है। राज्य की ओर से संअपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरंस करने का निवेदन किया है।
अधिवक्ता। राज्य की ओर से श्री दीवानिसंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक। अधीनस्थ जे.एम.एफ.सी. न्यायालय गोहद से प्र0क0 446/2009 ई0फौ0 शा0पु० गोहद चौराहा वि० जािकर उर्फ छुन्ना प्रस्तुत। आवेदक/आरोपी की ओर से अधि. श्री बीं। श्री बीं। प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जां। फीं। का पेश कर निवेदन किया कि पुलिस थाना गोहद चौराहा के द्वारा झूठी रिपोर्ट के आधार पर गलत मामला दर्ज कर लिया है, जबिक उक्त अपराध से आवेदक का कोई संबंध सरोकार नहीं है। आवेदक उक्त प्रकरण कमांक 446/09 ई0फौ० में जमानत पर था जिसमें कि वह नियत पेशी दिनांक को बाहर गांडी लेकर चले जाने से न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाया था और अपनी अनुपस्थिति की सूचना अपने अभिभाषक को भी नहीं दे पाया था, जिस कारण उसके जमानत मुचलके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जप्त कर उसे गिरफतारी वारंट से तलब किया गया था और बाद में उसे स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। आवेदक दिनांक 10.04.2017 से अभिरक्षा में है। यदि अधिक समय तक अभिरक्षा में रहा तो उसके परिवार के समक्ष भूखों मरने की स्थिति उत्पन्न हो जावेगी। आवेदक जमानत की समस्त शर्तों का पालन करेगा। अतः आवेदक को उचित जमानत मुचलके पर छोड़े जाने का निवेदन किया है। राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है।
उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। केश डायरी का अबलोकन किया गया। आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक वल दिया है कि आवेदक / अभियुक्त पेशे से चालक है और गाडी चलाने अहमदाबाद चला गया था। इसी कारण पेशी पर नहीं आ पाया था। उसके परिवार में छोटे छोटे बच्चे है जिनका पालन पोषण करने बाला कोई अन्य नहीं है। इसी आधार पर उसे जमानत पर मुक्त किये जाने की प्रार्थना की है। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण दिनांक 09.10.15 को निर्णय के नियत था और निर्णय की स्टेज पर आरोपी अनुपस्थित हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत है। प्रकरण के शीघ्र निकारण संभव है। अतः प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए तथा आवेदक / अभियुक्त द्वारा लम्बे समय तक अनुपस्थित रहने के कृत्य को दृष्टिगत रखते हुए उसे जमानत पर मुक्त किया जाना उचित प्रतीत न होने से आवेदनपत्र निरस्त किया जाता है। साथ ही विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रकरण में अंतिम तर्क सुने जाकर शीघ्र निर्णय पारित करे।

